

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
 पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

के मूलाधिकारी सावंल पुत्र म. दमाला दामा हैं। प्रार्थी का नाम वामा वामा वाराही की वामा पत्रावली संवत् 2077
 पत्रावली में सावंल पुत्र म. दमाला दामा दामा हैं। अतः नाम दुरुस्त हेतु उचित आदेशों
 अधिनियम की सेवा में प्रस्तुत है।

11/11/2021
 11/11/21

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है /स्वी-
 की जाती है।

दुरुस्त किया जाना
 उचित है।

11/11/2021
 तहसीलदार (भू0अ0)
 उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1204
 11/11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 11-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)
 उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01.	वासुडी	2075 78	221	सावंल पुत्र दमाला	सावंलराम पुत्र दमालाराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय को
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 11-11-2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1036-1037
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी